

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी- विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 121/2019 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट
अनवान

1. रतनदास पिता रामदास बैरागी
2. गोपालदास पिता रामदास बैरागी
3. भैरुदास पिता बंशीदास बैरागी
4. प्रेमी बेवा बंशीदास बैरागी
निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरु पिता उदयराम नाई
2. सरजु बेवा बंशी नाई
3. धनराज पिता चुन्नीलाल राव
4. भगवान पिता चुन्नीलाल राव
5. भूपेश पिता चुन्नीलाल राव
6. धीरज पिता चुन्नीलाल राव
7. सजनी बेवाचुन्नीलाल राव
8. नन्दराम पिता डालु जाट
9. शान्तिलाल पिता देवीलाल महाजन
10. भैरूलाल पिता देवीलाल महाजन

सर्व निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

11. चान्दी पुत्री गोविन्ददास पत्नि मिटुदास बैरागी निवासी सोनियाणा हाल निवास सुरतसिंह जी का खेड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. कमला पुत्री गोविन्ददास पत्नी धनदास बैरागी निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा हाल निवास लखाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।
13. बाली पुत्री गोविन्ददास पत्नी रामदास बैरागी निवासी सोनियाणा तहसील सहाड़ा हाल निवास आशाहोली तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांक:- 19/11/2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2709 रकबा 0.30हे0 2714 रकबा 0.30हे0 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.60हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 285 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीसंख्या 01 लगायत 12, बावजूद सूचना के अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

क्रमशः....02

// 02 //

प्रकरण संख्या :- 121/2019
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

बाद सुनवाई मैंने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सोनियाणा पटवार हल्का सोनियाणा तहसील सहाड़ा के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2709 रकबा 0.30हे0 2714 रकबा 0.30हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.60हे0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढी की जाने के आदेश किये जाते हैं, उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता है तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/- (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि राशि 450/- (चार सौ पच्चास रूपये मात्र) सम्बन्धित भु-अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)

सहायक उपस्थित अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

